न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० 133/2020 धारा–144 द०प्र०सं०

अमूल्या देवी वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

साबी देवी वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश

03.11.2020

प्रस्तुत वाद में आवेदक के आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–144 के तहत दोनो पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ–ही साथ उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक के लिए रोक लगाया गया।

उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–सारजमडीह, थाना–तमाड़,

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
328	1343	0.16 ए०	उ०–धनसिंह सेठ द०–गौरी शंकर सेठ पू०–मुनीराम सेठ प०–बाड़ी परती
	1344	0.03 ए०	उ०–धनसिंह सेठ द०–गौरी शंकर सेठ पू०–मुनीराम सेठ प०–बाड़ी परती

प्रथम पक्ष का पक्ष

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि प्रथम पक्ष कानून को पालन करने वाला व्यक्ति है। प्रथम पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना नहीं है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है।

2. यह है कि विवादित जमीन को सुरजू सेठ पिता–गोपाल सेठ ने रजिस्ट्री डीड सें सन् 03/02/1942 ई० को प्राप्त किये है। जिसका डीड संख्या–774, बुक संख्या–1 भोलूम संख्या–4, पेज संख्या 497–500 तक है। सुरजू सेठ के पुत्र दीनबन्धु सेठ हुए। दीनबन्धु सेठ के दो पत्नी परी देवी वो साबी देवी हुए। साबी देवी इस वाद में द्वितीय पक्षकार है। परी देवी के पुत्र कालाधर सेठ हुए। कालाधर सेठ की पत्नी अमूल्या देवी हुए। अमूल्या देवी इस वाद में प्रथम पक्षकार है। कालाधर सेठ के पुत्र राजकिशोर सेठ वो राजीव सेठ हुए। राजीव सेठ इस वाद में प्रथम पक्षकार है। साबी देवी के पुत्र सुनील सेठ वो अनिल सेठ हुए। जो इस वाद में सुनील सेठ वो अनिल सेठ द्वितीय पक्षकार है। सुनील सेठ की पत्नी रेखा देवी हुई, जो कि रेखा देवी इस वाद में द्वितीय पक्षकार है।

श की तिथि	आदेश	
03/11/2020	3. यह है कि पूर्व में भी न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू के न्यायालय में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत मुकदमा चला था, जिसका वाद संख्या–एम. पी. 27/2010, एम. पी. 45/2019, है। लेकिन उक्त वाद में पारित आदेश को द्वितीय पक्षगण नहीं मानते है। 4. यह है कि द्वितीय पक्ष ने अपने जबाब में उल्लेख किये है कि खतियानी रैयत से सुरजू सेठ पिता–गोपाल सेठ को डीड संख्या–774 बुक संख्या–1 भोलूम संख्या–4, पेज संख्या 497–500, खाता संख्या–328, प्लॉट संख्या–1566, रकवा–0.20 एकड़, प्लॉट संख्या–1570, रकवा–1.11 एकड़ भूमि मौजा–सारजमडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची से प्राप्त है। परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त प्लॉट पर मुकदमा दायर नहीं किया गया है। 5. द्वितीय पद्वा अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किये है कि प्रथम पक्ष के पति ने रकवा–1.39 एकड़ मध्ये 84 डीसमील भूमि को साक्षी गोपाल सेठ पिता–दलगोविन्द सेठ को बिकी किया गया है। परन्तु यह सत्य नहीं है। यह सर्वे खाता संख्या–109 की जमीन है। विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष हड़पना चाहते है। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष हाथो शांति भंग होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करते हुए इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। <u>द्वितीय पक्ष का पक्ष</u> द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये है :'– 1. यह है कि उपरोक्त वाद प्रथम पक्ष के सदस्य के द्वारा द्वितीय पक्षगण के विरूद्ध दायर किया गया है। जो खारिज करने योग्य है।क्योंकि पूर्व में भी प्रथम पक्ष के सदस्यगण ने द्वितीय पक्ष के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 एवं 107 के तहत मुकदमा दायर किया गया था। जिसमें बँटवारा हेतु सक्षम न्यायालय जाने का आदेश पारित हुआ है। जिसका मुकदमा संख्या–एम. पी. 27/2019, एम. 63/2018, एम. 02/2018, एम. 45/019 अमूल्या देवी वगैरह बनाम् साबी देवी वगैरह है। 2. यह है कि मामला बँटवारा से संबंधित है। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत निपटारा नहीं हो सकता है। 3. यह है कि वादगत भूमि खाता संख्या–328, प्लॉट संख्या–1566, रकवा–0.20 ए० तथा प्लॉट संख्या–1570, रकवा–1.11 एकड़ भूमि आर. एस. खतियान में मोसमात मान्दा साधु के नाम से दर्ज है। जिसको खतियानी रैयत ने डीड संख्या–774, बुक संख्या–1, भोलूम–4 पेज संख्या–497 से 500 तक सुरजू सेठ पिता–गोपाल सेठ को बिकी किया है। जिसका दाखिल–खारिज भी हो गया है। मालगुजारी द्वितीय पक्षगण लगातार देते आ रहे है। प्रथम पक्ष कभी भी नहीं दिये है।	

आदेश की तिथि	आदेश	
03/11/2020	4. यह है कि सुरजू सेठ के पुत्र दीनबन्धु सेठ हुए। दीनबन्धु सेठ के दो पत्नी परी देवी वो साबी देवी हुए। साबी देवी इस वाद में द्वितीय पक्षकार है। पहली पत्नी परी देवी के पुत्र कालाधर सेठ हुए। कालाधर सेठ की पत्नी अमूल्या देवी हुए। अमूल्या देवी इस वाद में प्रथम पक्षकार है। द्वितीय पत्नी साबी देवी के पुत्र सुनील सेठ वो अनिल सेठ हुए। जो इस वाद में सुनील सेठ वो अनिल सेठ द्वितीय पक्षकार है। सुनील सेठ की पत्नी रेखा देवी हुई, जो कि रेखा देवी इस वाद में द्वितीय पक्षकार है। 5. यह है कि पूर्व में प्रथम पक्ष के पति कालाधर सेठ को दीनवन्धु सेठ ने रकवा–1.39 एकड़ मध्यक 84 डीसमील जमीन हिस्सा में दिया था, जो प्रथम पक्ष के पति ने उक्त जमीन को साक्षी गोपाल सेठ पिता–दलगोविन्द संठ को बिकी किया है। जिसका चौहदी उप्रार–गोविन्द सेठ, दक्षिण–विभूषण सेठ, पूरब–चारकु सेठ, पश्चिम–साक्षी गोपाल सेठ है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का दावा नहीं बनता है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत प्रथम पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करते हुए इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। आदेश :– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों में विवादित जमीन पर बँटवारा को लेकर विवाद प्रतीत होता है। बँटवारा हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। वाद को बिना कोई प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। इसी निरूपण के साथ वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बन्द की जाती है। उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि विवादित जमीन पर शांति व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेगे। लेखापित एवं संशोधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची) अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)	